



संख्या नं० एल०/एन०/एन०. पी० 369

साइमन्स नं० डी० पी०-41

साइमन्स डी० पी०-एल० कन्वेन्शनल

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनिश्चित आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 31 दिसम्बर, 1991

वर्ष 10, 1913 शक संभवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग-5

संख्या 8548/9-आ-5-91-12 एल० ए०-90

लखनऊ, 30 दिसम्बर, 1991

अधिसूचना

प० आ०-611

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन जारी की गयी सरकारी अधिसूचना संख्या 114/11-5-91-12 एल० ए०-90, दिनांक 21 जनवरी, 90 तथा एतदसम्बन्धी शुद्धि-पत्र अधिसूचना संख्या 4399/11-5-91-12 एल० ए०-90, दिनांक 12 जून, 91 के क्रम में, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन यह घोषणा करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की, लोक प्रयोजन अर्थात् मुनियोजित विकास योजना के अधीन ग्राम गाहा उर्फ पीपल-गांव झलवा, हरबारा, देवघाट परगना-चायल, तहसील चायल, जनपद इलाहाबाद में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय बालोनी बनाने के लिये आवश्यकता है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन इलाहाबाद को कलेक्टर को निदेश देते हैं कि वे उक्त भूमि का अधिग्रहण करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करें।

2--चूंकि राज्यपाल का समाधान हो गया है कि यह मामला आत्ययिक है, इसलिये वे उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन यह भी निदेश देते हैं कि यद्यपि धारा 11 के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं दिया गया है, इलाहाबाद को कलेक्टर उक्त लोक प्रयोजन के लिये नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर कब्जा धारा 9 की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से पन्द्रह दिन के अवधान पर कर सकते हैं।

टिप्पणी--अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूची अंग्रेजी अनुवाद के साथ नीचे दी गयी है।

1	2	3	4	5
ब्री 0	ब्री 0	धर		
B.	B.	D.		
2	10	4		
3	4	2		
4	15	11		
1	12	16		
2	7	0		
2	16	14		
2	3	2		
2	10	0		
1	5	17		
4	3	16		
1	2	7		
1	9	7		
1	3	0		
1	10	10		
1	8	11		
1	1	0		
0	11	0		
1	6	0		
1	4	0		
0	9	0		
0	14	0		
0	8	0		
0	14	0		
0	9	0		
0	11	0		
0	4	0		
0	5	0		
2	11	17		
0	17	0		
7	14	8		
2	10	11		
0	9	0		
0	9	0		
0	9	0		
1	3	0		
0	11	00		
0	12	0		
0	19	0		
2	5	0		
1	10	0		
2	6	0		
4	10	19		
3	15	1		
3	5	0		
2	1	0		
1	14	0		
3	10	00		
0	6	0		
0	10	0		
0	5	0		
0	2	0		